



समाहरणालय, सहरसा समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) (आई०सी०डी०एस० कोषांग) विकास भवन, सहरसा

फोन : 919431005043, Email : dpoicdssaharsa@gmail.com I.C.D.S.

समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) सहरसा जिला अंतर्गत अनुबंध के आधार पर
ऑगनवाडी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों पर नियोजन संबंधित विज्ञापन

विज्ञापन संख्या -01/2025

समाज कल्याण विभाग बिहार, पटना के संकल्प संख्या 1846 दिनांक 10.06.2010 एवं संशोधित पत्रांक 5994 दिनांक 31.12.2018 एवं अन्य पत्रों से प्राप्त मार्गनिर्देशों के आलोक में सहरसा जिला अंतर्गत ऑगनवाडी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के 16 रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु कार्यरत इच्छुक ऑगनवाडी सेविकाओं से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

संयुक्त निदेशक सह वरीय प्रभारी पदाधिकारी स्थापना आई.सी.डी.एस. निदेशालय बिहार पटना के पत्रांक 5350 दिनांक 22.08.2025 के द्वारा उपलब्ध कराये गये आगनवाडी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन पोर्टल का लिंक <http://125.16.175.140:88/vacancyList.aspx> पर अपना पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन समर्पित कर सकेंगे। नियोजन हेतु जिले में रिक्ति से संबंधित विस्तृत सूचना एवं ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया (User Guideline) सहरसा जिले के आधिकारिक वेबसाइट https://saharsa.nic.in/notice_category/recruitment/ पर प्रदर्शित है एवं जिला प्रोग्राम कार्यालय आई.सी.डी.एस.सहरसा के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

1. सहरसा जिला में रिक्त 16 पदों पर नियोजन हेतु कोटिवार विवरणी निम्न प्रकार है -

क्रमांक	अनुसूचित जाति	रिक्ति की संख्या
1.	अनुसूचित जाति	02
2.	अनुसूचित जनजाति	01
3.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	03
4.	पिछड़ा वर्ग	01
5.	पिछड़े वर्गों की महिला	01
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02
7.	गैर आरक्षित वर्ग	06
कुल :-		16

2. रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की समय-सीमा निम्नवत है :-
ऑनलाईन आवेदन की प्राप्ति दिनांक 13.09.2025 से 03.10.2025 के संध्या 05 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे।

3. आवेदिका द्वारा पूर्णतः भरे हुए ऑनलाईन आवेदन के प्रिंट आउट की एक प्रति सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ निबंधित डाक से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा, विकास भवन द्वितीय तल, सहरसा पिन- 852201 के पते पर भेजना होगा। लिफाफे के उपर बाँयी ओर "ऑगनवाडी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन" लिखना आवश्यक है। आवेदन हाथों-हाथ स्वीकार नहीं किये जायेंगे। बिना ऑनलाईन आवेदन अथवा निर्धारित समय-सीमा के बाद प्राप्त आवेदन विचारणीय नहीं होंगे। आवेदिका ऑनलाईन आवेदन की एक प्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लेंगी।

4. ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने के उपरान्त आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र की स्व अभिप्राणित छायाप्रति संलग्न कर भेजना अनिवार्य होगा :-

- मैट्रिक परीक्षा के उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
(यदि हो तो इन्टर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा के उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र)
- अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र।
- राजपत्रित पदाधिकारी, सहरसा द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र-आरक्षित वर्गों के लिए ज़ोलागू हो, यथा जाति प्रमाण पत्र क्रीमीलीयर रहित प्रमाण पत्र (अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए अनिवार्य है।) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (सामान्य वर्ग हेतु) संबंधी प्रमाण पत्र।
- अनुभव प्रमाण पत्र - अभ्यर्थी को संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्य अनुभव प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी द्वारा कितने वर्षों तक सेविका के पद पर कार्य किया गया है।
- जिन ऑगनवाडी सेविका को राष्ट्रीय पुरस्कार/राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ हो तो संबंधित प्रमाण पत्र।
- अन्य प्रमाण पत्र जो लागू हो। (दिव्यांगता प्रमाण पत्र / स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित संबंधित प्रमाण पत्र आदि)

5. ऑगनवाडी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका (अनुबंध) के पद पर नियोजन के संबंध में आवश्यक योग्यता :-

- अभ्यर्थी केवल कार्यरत आगवाडी सेविका हो।
- अभ्यर्थी भारत की नागरिक हो।
- अभ्यर्थी सहरसा जिला की स्थायी निवासी हो। इसके लिये अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय (निवास) प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा।
- शैक्षणिक योग्यता :-न्यूनतम योग्यता - मैट्रिक/समकक्ष उत्तीर्ण
- चयन वर्ष की पहली जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए अर्थात् 01.01.2025 को 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए।
- उम्र सीमा- विज्ञापन वर्ष 2025 के पहली जनवरी को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को इस आशय का अन्डरटेकिंग देना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे।

नियोजन संबंधी अर्हताओं के लिए विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका/पत्रों में वर्णित नियम एवं शर्तें अक्षरशः लागू होंगे। आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार जिला चयन समिति सहरसा के पास सुरक्षित रहेगा। इस विज्ञापन को बिना कोई कारण बताए निरस्त किया जा सकता है।

"विज्ञापन एवं सेवा शर्तों से संबंधित सभी अधिकार जिलाधिकारी सहरसा के अधीन हैं। जिलाधिकारी सहरसा विज्ञापन को संशोधित/रद्द करने के लिये सर्वाधिकार धारित करते हैं।"

नोट :- संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग बिहार पटना के पत्रांक - 4068 दिनांक- 28.08.2024 के निदेशानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर SLP (C) में पारित आदेश के फलाफल से प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के तहत नियोजन प्रभावित होगी।

विस्तृत मार्गदर्शिका यथा अर्हता/आवेदन देने की प्रक्रिया आदि सहरसा जिला के आधिकारिक वेबसाइट https://saharsa.nic.in/notice_category/recruitment/ पर देखा जा सकता है। अभ्यर्थी, विज्ञापन से संबंधित अपडेट एवं अन्य घोषणाओं हेतु नियमित रूप से NIC SAHarsads वेबसाइट पर अवलोकन करते रहेंगे।

विस्तृत जानकारी हेतु www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता है।

जिलाधिकारी
सहरसा